संख्या– 399 /XVIII-B-1/2020-12(4)/2013TC

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक** 02 **जून, 2020**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य में कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार एवं उस पर हो रहे संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु नितान्त आवश्यक कार्यो के सम्पादनार्थ आपदा मोचन निधि मद से धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/1/25/कोविड–19/2020–21/6963, दिनांक 22 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार एवं उससे हो रहे संक्रमण की रोकथाम व बचाव हेतु जनपद स्तर से मांग के आधार पर मांगी गई धनराशि रू0 13.00 करोड़ तथा चिकित्सा विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 मई, 2020 के अनुपालनार्थ ELISA मशीन क्रय किये जाने हेतु रू0 3.00 करोड़, इस प्रकार कुल रू0 16.00 करोड़ (रू0 सोलह करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय, आपदा प्रबन्धन प्रभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से हुयी क्षति की स्थिति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से राहत सहायता अनुमन्य किये जाने हेतु आदेश संख्या–32-7/2020-NDM-I, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा मद एवं मानकों को निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के संशोधित आदेश संख्या–33-4/2020-NDM-I, दिनांक 14 मार्च, 2020 द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) को अधिसूचित आपदा में सम्मिलित करते हुये निर्धारित मानकों में संशोधन किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य आपदा मोचन निधि के संशोधित मानक की परिधि में राज्य में कोरोना वायरस के संग्रमण की रोकथाम, बचाव, उपचार आदि कार्यो हेतु राज्य आपदा मोचन निधि मद के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में रू0 16.00 करोड़ (रू0 सोलह करोड़ मात्र) निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कोरोना वायरस से सम्बन्धित अनुमन्य कार्यो जैसा कि राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय एस.डी.आर.एफ. के मानकों में उल्लिखित है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। वित्तीय वर्ष के अन्त में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि का समर्पण किया जायेगा तथा व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

3– उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान संख्या–06 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05–राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–01–आरक्षित निधियों एवं जमा लेखा में अन्तरण एस.डी.आर.एफ.–02–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–292/9(150)-2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 में निहित निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या– (1)/XVIII-B-1/2020-12(4)/2013TC, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को चिकित्सा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या–12/XXVIII-4/2020 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।
8. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव